उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारा (राज.)

अन्तिम **डिक्री**

17/2014	धारा अंतर्गत 53, 188 RTA	निर्णय दिनांक 11.10.21

श्री दिव्यांशु शर्मा आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां

उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री चन्द्रप्रकाश यादव — अभिभाषक प्रतिवादी श्री अमित कुमार

वाद शीर्षक

रामकल्याण पुत्र किशन जाति माली निवासी कलमण्डा तह. बारां

बनाम

1. देवीलाल 2. हरिशंकर पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी कलमण्डा तह. बारां
3. हंसराज 4. हेमराज पुत्र नन्दकिशोर 5. मन्जू पुत्री नन्दकिशोर माली कलमण्डा
6. शान्ति बेवा नन्दकिशोर जाति माली निवासी कलमण्डा तह. बारां
7. चन्द्रप्रकाश 8. पानाबाई 9. कन्याबाई 10 कस्तूरीबाई आ. नारायण माली
11 प्रेमनारायण 12 मांगीलाल 13 रमाकान्त 14 नन्दकिशोर पुत्र चतुर्भुज
15 ललताबाई 16 गिरिजाबाई 17 अशोकाबाई पुत्रियां चतुर्भुज जाति माली
18 दाखाबाई बेवा चतुर्भुज जाति माली निवासी कलमण्डा तह. बारां
19 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम कलमण्डा का वादी एवं प्रति वादी के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-

नाम खातेदार

नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा
रामकल्याण पुत्र किशन कौम माली	316	0.89 हे.
	357	0.10 हे.
	358	0.10 हे.
	कुल किता 3	1.09 हे.

शेष भूमि अन्य सहखातेदारान के संयुक्त हिस्से अनुसार रहेगी। उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का हिस्सा पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर नया खाता कायम करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 11.10.21 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:24:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निर्णय न्यायालय श्री दिव्यांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण संख्या 17/2014 वाद
दायरा दिनांक 05.03.2014
निर्णय दिनांक :- 31.8.21

उनवान

रामकल्याण पुत्र बिरधा जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।

बनाम

1. देवीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
2. हरिशंकर पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
3. हेमराज पुत्र नन्दकिशोर जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
4. हंसराज पुत्र नन्दकिशोर जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
5. मन्जू पुत्री नन्दकिशोर जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
6. शान्ति बेवा नन्दकिशोर जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
7. चन्द्रप्रकाश पुत्र नारायण जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
8. पानाबाई पुत्री नारायण जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
9. कन्याबाई पुत्री नारायण जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
10. कस्तूरीबाई पुत्री नारायण जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
11. प्रेमनारायण पुत्र चतुर्भुज जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
12. भजनलाल पुत्र चतुर्भुज जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
13. रमाकान्त पुत्र चतुर्भुज जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
14. देवकिशन पुत्र चतुर्भुज जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
15. ललता बाई पुत्री चतुर्भुज जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
16. गिर्राज बाई पुत्री चतुर्भुज जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
17. अशोकबाई पुत्री चतुर्भुज जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
18. दाखा बाई बेवा चतुर्भुज जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
19. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :- 31.8.21

अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री चन्द्रप्रकाश यादव – वादी

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:24:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि वाके ग्राम कलमण्डा तहसील बारां खसरा नंबर 316 रकबा 1.36 हेक्टेयर खसरा नंबर 344 रकबा 4.39 हेक्टेयर, खसरा नंबर 357 रकबा 0.10 हेक्टेयर, खसरा नंबर 358 रकबा 0.10 हेक्टेयर, खसरा नंबर 407 रकबा 1.12 हेक्टेयर, खसरा नंबर 475 रकबा 0.03 हेक्टेयर, खसरा नंबर 476 रकबा 0.09 हेक्टेयर, खसरा नंबर 486 रकबा 0.09 हेक्टेयर कुल किता 8 रकबा 3.28 हेक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067—70 के अनुसार वादी के पिता बिरधा व प्रतिवादी क्रम 1 ता 18 की संयुक्त खातेदारी में अंकित है। वादी के पिता बिरधा पुत्र माधो का स्वर्गवास हो चुका है, तथा इन्तकाल नंबर 1362 दिनांक 05.02.2013 के आधार पर वादी का नाम बिरधा के स्थान पर दर्ज हो चुका है। प्रतिवादी क्रम 1 देवीलाल का नाम माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां के निर्णय दिनांक 28.09.2006 की अनुपालना में खसरा नंबर 407कबा 0.54 हेक्टेयर, पूर्वी ओर दर्ज हुआ है, तथा जिसका अमल नामान्तकरण संख्या 1197 मे से जमाबन्दी मे हो चुका है। साथ ही प्रतिवादी क्रम 1 देवीलाल ने अपनी उक्त आराजी को नाथूलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन निवासी दीनदयाल पार्क बारां को बेचान कर दिया है, तथा इन्तकाल नंबर 1224 दिनांक 06.12.2010 से क्रेता नाथूलाल के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित हो चुका है। उक्त वर्णित आराजी का साविक खसरा नंबर जमाबन्दी सम्वत् 2031—34 के अनुसार, खसरा नंबर 268 रकबा 8.08 बीघा, खसरा नंबर 292 रकबा 2.18 बीघा, खसरा नंबर 303 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 345 रकबा 6.19 बीघा, खसरा नंबर 408 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 409 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 419 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 20.14 बीघा था, जिसके खातेदार जगन्नाथ, नारायण, बिरधा पुत्र माधो जाति माली साकिन् देह हिस्सा बराबर अंकित है। उक्त तीनो खातेदारान् का स्वर्गवास हो चुका है। जगन्नाथ व नारायण के वारिस एवं उत्तराधिकारी प्रतिवादी क्रम 1 ता 18 है, तथा मृतक बिरधा का एक मात्र वारिस वादी रामकल्याण है। इस प्रकार विवादित आराजीयात में वादी का 1/3 हिस्सा निहित है।

विवादित आराजी उक्त तीनो मृतक खातेदारान् के बीच उनके जीवन काल में बाहमी विभाजन हो गया था, तथा उसी अनुरूप मृतक बिरधा 1/3 हिस्सा काश्त कर रहा था, तथा बिरधा के स्वर्गवास होने के बाद से वादी 1/3 हिस्सा मौके पर काश्त करता आ रहा है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 18 के मन में बद्यान्ति आ गई, तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल कर कब्जा करना चाहते है, तथा पक्षकारान् के बीच कर्त्ता व राजस्व कर को लेकर आये दिन लड़ाई—झगड़ा होते रहते है, तथा वादी अपने हिस्सें की भूमि के विकास के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने से भी वंचित रहता है। इस कारण वादी अपना 1/3 हिस्सा पृथक करवाकर पृथक से अपनी खातेदारी में दर्ज करा पाने का अधिकारी है। दिनांक 15.01.2014 को प्रतिवादी क्रम 1 ता 18 ने वादी को धमकी दी की, हम तेरे हिस्से की जमीन तुझे काश्त नही करने देगे, तथा जो हमे रोकेगा, उसकी लाश बिछा देगे, तथा लड़ाई—झगड़ा करने पर आमादा हुये। प्रतिवादी क्रम 1 ता 18 को कोई अधिकार नही है, कि वादी को उसके हिस्से की भूमि को काश्त करने से रोके। अस्तु वादी प्रतिवादी क्रम 1 ता 18 को जर्ये स्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 15.01.2014 को प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:24:51 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

द्वारा वादी को उसके हिस्से की विवादित आराजी से बेदखल कर जबरन कब्जा करने की धमकी देने पर

बमुकाम कलमण्डा तहसील बारां मे पैदा हुआ। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश नही होने पर दिनांक 14.03.2019 को प्रतिवादीगण का जवाब दावा बन्द कर दिया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा, नकल खसरा गिरदावरी, नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत् 2043–46, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2031–34, नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2038–57, नकल नामान्तकरण संख्या 1197 ग्राम कलमण्डा, नकल निर्णय दिनांक 28.09.2006, नकल डिक्री दिनांक 28.09.2006, ग्राम पंचायत कलमण्डा द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 22.05.2015 पेश किया गया। साक्ष्य वादी में रामकल्याण का शपथ–पत्र पेश किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत् 2067–70 पेश की गई।

अभिभाशक वादी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। लिखित बहस मे वकील वादी द्वारा बताया कि वाद पत्र की मद् नंबर 1 में वर्णित आराजी एवं साविक खसरा नंबर मद् नंबर 5 मे वर्णित आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2031–34 के अनुसार कुल रकबा 20.14 बीघा था। जिसके खातेदार जगन्नाथ , नारायण, बिरधा पुत्र माधो जाति माली हिस्सा बराबर अंकित था। उपरोक्त आराजी में वादी के पिता बिरधा पुत्र माधो जाति माली का 1/3 हिस्सा दर्ज था। वादी के पिता बिरधा की मृत्यु के पश्चात् वादी का नाम नामान्तकरण संख्या 1362 दिनांक 05.02.2013 से खातेदारी मे दर्ज हुआ, परन्तु वादी को प्राप्त होने वाले हिस्से 1/3 को अंकित नही किया गया, तथा अन्य प्रतिवादीगण के बराबर ही दर्ज किया गया। बिरधा के एक मात्र वारिस वादी रामकल्याण होने से वादी का उपरोक्त आराजी में 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाकर पृथक से राजस्व रिकार्ड में बटवारा कर दर्ज किया जावे। वादी को अपने हिस्से 1/3 की भूमि विकास के लिए एवं ऋण प्राप्त करने के लिए अपना पृथक खाता दर्ज कर पृथक से 1/3 हिस्सा दर्ज खातेदारी की जावे।

बहस अभिभाषक वकील वादी एक तरफा सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा खाता संख्या 195 के अनुसार वादी के पिता एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी मे दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी ग्राम कलमण्डा के अनुसार वादी के पिता व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत् 2043–46 के अनुसार वादी के पिता एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत् 2031–34 में जगन्नाथ, नारायण, बिरधा पुत्र माधो के खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है। नकल नामान्तकरण संख्या 1197 ग्राम कलमण्डा के अनुसार उपखण्ड अधिकारी बारां के निर्णय दिनांक 28.09.2006 की पालना में खोला जाकर तस्दीक किया गया। नकल निर्णय दिनांक 28.09.2006 मुकदमा नंबर 49/05 दावा उनवान देवीलाल बनाम बिरधीलाल अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. मे वादी एवं प्रतिवादीगण के बटवारा किया गया, जिससे यह साबित होता है, कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी मे दर्ज है, जिसमे वादी के [illegible] की मुताबिक राजस्व रिकार्ड सम्वत्

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:24:51 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारॉ

Scanned with CamScanner

2031—34 के अनुसार 1/3 हिस्सा दर्ज है। वादी अपने हिस्से की भूमि का पृथक—पृथक विभाजन कराना चाहता है। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का वादी एवं

प्रतिवादीगण के मध्य हिस्सा एवं कब्जे अनुसार पृथक—पृथक विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम कलमण्डा तहसील बारां खसरा नंबर 316 रकबा 1.36 हेक्टेयर खसरा नंबर 344 रकबा 4.39 हेक्टेयर, खसरा नंबर 357 रकबा 0.10 हेक्टेयर, खसरा नंबर 358 रकबा 0.10 हेक्टेयर, खसरा नंबर 407 रकबा 1.12 हेक्टेयर, खसरा नंबर 475 रकबा 0.03 हेक्टेयर, खसरा नंबर 476 रकबा 0.09 हेक्टेयर, खसरा नंबर 486 रकबा 0.09 हेक्टेयर कुल किता 8 रकबा 3.28 हेक्टेयर में वादी का हिस्सा 1/3 पृथक—पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है, कि वादी के हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार दखल अंदाजी नही करे। तदनुरूप प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उप खण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:24:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

संख्या 17/2014	धारा अन्तर्गत 53, 188आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 31.08.2021
श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– चन्द्रप्रकाश यादव	अभिभाषक प्रतिवादी:–श्री	

वाद शीर्षक

उनवान

रामकल्याण पुत्र बिरधा जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।

बनाम

1. देवीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
2. हरि ंकर पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
3. हेमराज पुत्र नन्दकिशोर जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
4. हसंराज पुत्र नन्दकिशोर जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
5. मन्जू पुत्री नन्दकिशोर जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
6. भाान्ति बेवा नन्दकिशोर जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
7. चन्द्रप्रकाश पुत्र नारायण जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
8. पानाबाई पुत्री नारायण जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
9. कन्याबाई पुत्री नारायण जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
10. कस्तूरीबाई पुत्री नारायण जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
11. प्रेमनारायण पुत्र चतुर्भुज जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
12. भजनलाल पुत्र चतुर्भुज जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
13. रमाकान्त पुत्र चतुर्भुज जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
14. देवकिशन पुत्र चतुर्भुज जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
15. ललता बाई पुत्री चतुर्भुज जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
16. गिर्राज बाई पुत्री चतुर्भुज जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
17. अशोकबाई पुत्री चतुर्भुज जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
18. दाखा बाई बेवा चतुर्भुज जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
19. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम कलमण्डा तहसील बारां खसरा नंबर 316 रकबा 1.36 हेक्टेयर खसरा नंबर 344 रकबा 4.39 हेक्टेयर, खसरा नंबर 357 रकबा 0.10 हेक्टेयर, खसरा नंबर 358 रकबा 0.10 हेक्टेयर, खसरा नंबर 407 रकबा 1.12 हेक्टेयर, खसरा नंबर 475 रकबा 0.03 हेक्टेयर, खसरा नंबर 476 रकबा 0.09 हेक्टेयर, खसरा नंबर 486 रकबा 0.09 हेक्टेयर कुल किता 8 रकबा 3.28 हेक्टेयर में वादी का हिस्सा 1/3 पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है, कि वादी के हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार दखल अंदाजी नही करे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 31.08.2021 को निर्गत किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:24:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला–बारां

क्र.सं.	व्यय मद	रकम वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		

Scanned with CamScanner